न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 08/2019

उनवान

1. बंशीधर पुत्र रूघनाथ,
2. भजन लाल पुत्र रूघनाथ,
3. श्रवण कुमार पुत्र रूघनाथ,
4. शिम्भुदयाल पुत्र रूघनाथ,
5. हरफुल पुत्र रूघनाथ,
6. ताराचन्द पुत्र स्व0 मुरलीधर,
7. भगवानी देवी पत्नी मुरलीधर,
8. महिपाल पुत्र मुरलीधर,
9. रमेश कुमार पुत्र मुरलीधर,
10. विजयपाल पुत्र मुरलीधर,
11. हंसराज पुत्र मुरलीधर,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र हरिकिशन,
2. मनिषा पुत्री हरिकिशन,
3. राजू देवी पुत्री हरिकिशन,
4. रामेश्वरी देवी पत्नी हरिकिशन,
5. झाबर पुत्र मन्नाराम,
6. नाथी देवी पत्नी मन्नाराम,
7. रामचन्द्र पुत्र मन्नाराम,
8. शिवचन्द्र पुत्र मन्नाराम,

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार महोदय उप–तहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 17.12.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय [illegible] र निवेदन किया है कि वाके ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खातेदारी [illegible] काश्त की भूमियां हाल खाता संख्या 131 के हाल खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 1 का कुल [illegible] 0.98 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण के [illegible] से राजस्व रिकार्ड में [illegible] आ रही हैं, जिन पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

प्रार्थीगण अपने खेत में कृषि प्रयोजन हेतु कार्य करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के खसरा नम्बर 438 रकबा 1.01 हैक्टेयर में से आने जाने का रास्ता हैं। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अर्सा दराज से करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण अपने खेत में

आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के खसरा नम्बर 438 में से 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहते हैं, प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी आराजीयात में आने जाने का स्थित नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने में कभी कोई रूकावट नहीं की, लेकिन अब प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से दिनांक 05.08.2019 को उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी दी तथा उक्त रास्ते में आने जाने में रूकावट करने से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर खसरा नम्बर 437 रकबा 0.98 हैक्टेयर, में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 438 रकबा 1.01 हैक्टेयर की भूमि में से उक्त भूमि की सीमा पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण सीमा तक होता हुआ 15 फीट चौडाई का रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं अप्रार्थी संख्या 9 व 10 से मुताबिक आदेशानुसार पालना करवायी जावें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रावधानो के विपरित जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार नया मार्ग खोलने एवं विद्यमान रास्ते को चौडा करने एवं विस्तारित करने का प्रावधान है जबकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे खसरा नम्बर 438 मे चालू रास्ता बताया है, इस कारण चालू रास्ते के सम्बन्ध मे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई नही बतायी है और ना ही उक्त रास्ते का कोई नजरी नक्शा पेश किया है, ना ही यह बताया है कि उक्त रास्ता खसरा नम्बर 438 की किस सीमा से होकर कहा तक निकाला जायेगा। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे उक्त प्रस्तावित रास्ता किसी चालू रिकार्डेड रास्ते अर्थात् सडक से जुडकर उसका उपयोग उपभोग हो सकेगा, ऐसा नही बताया है। इस प्रकार यदि प्रस्तावित रास्ता खोल भी दिया जावेगा तो वह आगे किसी रिकार्डेड रास्ता व सडक से नही जुडता है, तो उसका उपयोग उपभोग नही हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह कही नही बताया है कि उनकी भूमि मे आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता सबसे लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, इन तथ्यो के अभाव में भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 437 के लगवा अन्य खसरा नम्बर की भूमि मे से भी निकटतम रास्ता निकाला जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण ने उक्त तथ्यो को छिपाकर अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए उन्ही की भूमि मे योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 437 के निकटतम रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 371/2330 हैं, इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 435 व 436 मे से [illegible] मांग करनी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से [illegible] की गई है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट भूतेडा में पेश हुई। उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम भूतेडा के आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.9800 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 438 में से रास्ता चाहा गया है जिसकी खातेदारी जितेन्द्र व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:32 IST
Reason: SelfAttested

के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खसरा नम्बर 438 से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उतर से दक्षिण सीमा तक (4.57 X 75 = 343 वर्गमीटर) रास्ता चाहा गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है। आवेदक के कोई अन्य रास्ता मौके पर नहीं लगता है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर के अनुसार 1,10,014 रूपये (डबल दर के अनुसार) बनते है। आवेदक के पास मौके पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। वादी को रास्ता दिया जाने की अभिशंषा की गई है।

अप्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 का पेश किया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस, आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021, बहस का बगोर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 04.01. 2021 का खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 के अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 04.01. 2021 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 438 से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उतर से दक्षिण सीमा तक (4.57 X 75 = 343 वर्गमीटर) भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुतबिक रिमार्क तहसीलदार चौमू दिनांक 04.01.2021 के अनुसार वाके ग्राम भूतेडा तहसील चौमूं, जिला जयपुर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 438 से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उतर से दक्षिण सीमा तक (4.57 X 75 = 343 वर्गमीटर) भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुनी दर से भूमि कीमत लगभग 110015/– रूपये शब्दों में एक लाख दस हजार पन्द्रह रूपये अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने का आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि जमा कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:38:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:38:32 IST
Reason: SelfAttested